न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

रजिस्टर वाद संख्या 226 / 2008

1. श्री किशनलाल पुत्र रामचंद।
2. श्री गोपाल पुत्र रामचंद।
3. श्रीमती बरजी पत्नी रामचंद।
   समस्त जातिगण जाट, निवासीगण चकवा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

— वादीगण

बनाम

1. श्री रामलाल पुत्र भूरा।
2. श्री देवालाल पुत्र भूरा।
3. श्री सांवरा पुत्र भूरा।
4. श्री सूरजकरण पुत्र भूरा।
5. श्रीमती चन्ता पत्नी भूरा।
   समस्त जातिगण जाट, निवासीगण चकवा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़।
7. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय, सरवाड़।

प्रतिवादीगण

वकील 1. श्री दौलतसिंह राठौड़, वादी।
2. श्री शैलेन्द्र जैन, प्रतिवादी।

निर्णय अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 22.11.2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त आराजीयात वाकै ग्राम चकवा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में स्थित है जो निम्न प्रकार से है:—

खाता संख्या किस्म	खसरा संख्या	रकबा
336	198 / 2	10—00—00
292—294	222	02—08—00
43	226 / 2	04—19—00
	261	47—02—00
	562	01—16—00
	137 / 2 / 1	07—01—00
87	21	12—10—00
156	127	09—05—00
	143	11—04—00
	146 / 6	03—04—00
	145	03—06—00
	164	01—10—00
	223	03—04—00
	226 / 1	04—18—00
	227	00—07—00
	556	01—01—00

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला-अजमेर

Scanned by CamScanner

यह कि वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है।

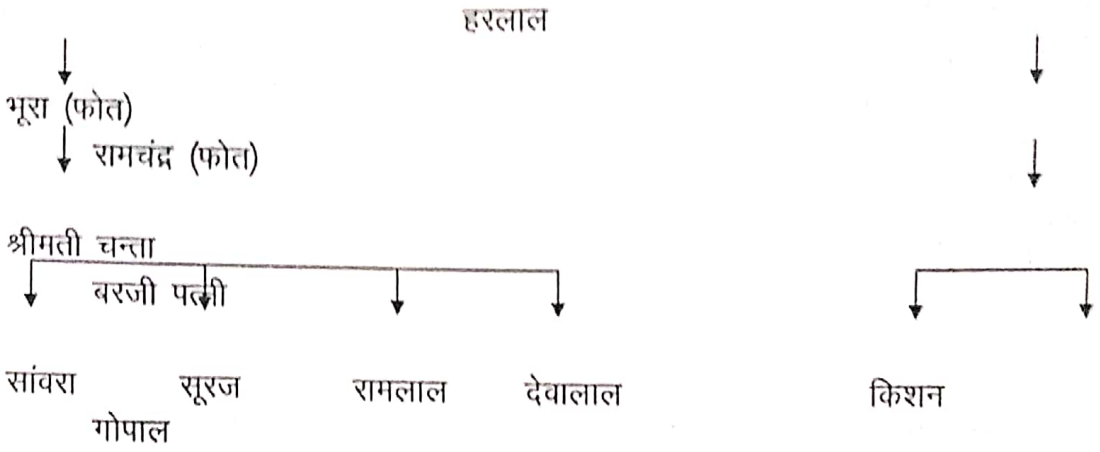

यह कि वर्णित आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह कि पक्षकारान के मध्य विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी में से ख. नं. 143 रकबा 11 बीघ 4 बिस्वा संपूर्ण वादीगण के कब्जे काश्त में विगत 30 वर्षो से लगातार चली आ रही है। जिसे वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त आराजी खसरा नं. 143 से भूमि सुधार हेतु ऋण प्राप्त कर एक चाह का निर्माण करवाया है जो बंटवारे में वादीगण ही प्राप्त करने के अधिकारी है। यह कि वादग्रस्त आराजी के ख. नं. 227 रकबा 7 बिस्वा पर चाह स्थित है जो भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिसका 1/2 हिस्सा वादीगण का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का है। परंतु सहवन से उक्त खसरा नं. संपूर्ण प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। जिसे पुनः दुरूस्त किया जाकर 1/2 हिस्से पर वादीगण का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। यह कि उक्त आराजीयात का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है इसके बावजूद प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों से मिली भगत कर राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से विभाजन इन्द्राज करवा लिया जो कतई गलत अवैध व विधि विरूद्ध है। यह कि वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन बाबत गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 11.05.06 को हुयी इसके बाद वादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की तब जानकारी हुयी। यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजी के ख. नं. 143 के संपूर्ण रकबे में वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

वादी द्वारा निम्न साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किएः–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम चकवा संवत् 2058–2061
- प्रतिलिपी नजरीय नक्शा ग्राम चकवा
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम चकवा संवत् 2058–2061
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम चकवा संवत् 2058–2061
- प्रतिलिपी खसरा गिरदावरी संवत् 2058

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला–अजमेर

Scanned by CamScanner

- सत्य प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल ग्राम चकवा
- प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी महकमा बन्दोबस्त राजस्थान राज्य डिवीजन
- प्रमाणित प्रतिलिपी खतौनी एकीकरण जमाबंदी संवत् 2020
- प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी महकमा बन्दोबस्त राजस्थान राज्य डिवीजन संवत् 2006
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम चकवा संवत् 2023–2026
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम चकवा संवत् 2042

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। यह कि उक्त आराजीयात ग्राम चकवा तहसील सरवाड़ में एवं संयुक्त कब्जे काश्त की है। यह कि वास्तविकता इस प्रकार है कि खाता सं. नया 87 पुराना 156 ख. नं. 21, 127, 143, 145, 164, 223, 226/1, 227, 556 प्रतिवादीगण की पैतृक आराजीयात है जो प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पिता की मृत्यु के पश्चात् विरासत से खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य में आयी है। जिस पर अभी प्रतिवादी सं. 3 व 4 काबिज है व इसी खाता सं. 87, 156 के ख. नं. 146/10 रकबा 3 बीघा व खाता सं. नई 292 पुराना 294 ख. नं. 222 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा आराजी प्रतिवादी सं. 3 को ग्राम पंचायत भगवानपुरा तहसील सरवाड़ के राजस्व अभियान में विधिवत तरीके से आवंटन की गयी थी। खात सं. 336 ख. नं. 190/2 रकबा 10 बीघा प्रतिवादी सं. 3 ने विक्रेता बैजनाथ पुत्र धोकल जाति जाट निवासी ग्राम छापरी से खरीद कर खातेदारी कब्जा प्राप्त किया था। इसी प्रकार ख. नं. 261 रकबा 47 बीघा 2 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 3 व 4 का हिस्सा कब्जा काश्त है। यह कि ख. नं. 143 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा आराजी वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त में ही नहीं है। इसलिए वादीगण को उक्त आराजी पर ऋण मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

प्रतिवादी द्वारा निम्न साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किएः–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम चकवा संवत् 2058–2061
- प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस ग्राम चकवा
- सत्य प्रतिलिपी खसरा गिरदावरी संवत् 2058–2061
- सत्य प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम चकवा संवत् 2058–2061
- सत्य प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम चकवा संवत् 2058–2061
- प्रतिलिपी विक्रय पत्र दिनांक 30.11.1994

वाद के निस्तारण हेतु निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि वादी के वादी के वादपत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित ग्राम चकवा तहसील सरवाड़ की वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसका बंटवारा विधिवत करवाने का वादी हक रखते है तथा बटवारानुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने का हक रखते है।

वादी

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला–अजमेर

Scanned by CamScanner

2. आया वादपत्र के पैरा में वर्णित आराजीयात खसरा नं. 143 सम्पूर्ण वादीगण को बटवारे में संभलाई जावे तथा खसरा नं. 224 चाह का आधा आधा हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में इद्राज कराया जावे प्रतिवादीगणको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

वादी

3. आया कि खसरा नं. 146/10 तथा रकबा 3बीघा व खसरा नं. 222 रकबा 2 बीघा 8 बरीस्वा प्रतिवादी सं. 3 को अलाट हुई है। खसरा नं. 190/2 रकबा 10 बीघा कय की है खसरा नं. 143 रकबा 11 बीघा 4 बीस्वा वादीगण की खातेदारी व कब्जे कास्त में ही नहीं है इस पर बनाया गया कुआ प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने स्वयं निजी पैसे से बनाया है अतः इसका बटवारा कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता खसरा नं. 227 में वादीगण और प्रतिवादीगण का आधा–आधा हिस्सा है आराजी खसरा नं. 21, 127, 143, 145, 164, 223, 226/1, 227, 556 प्रतिवादी सं. 3 व 4 की पैतृक संपत्ति है जिसका बटवारा व खातेदारी हक प्राप्ति का वादी को अधिकार नहीं है।

प्रतिवदी

4. अन्य अनुतोष।

दादरसी।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है :–

1. **तनकी सं. 1** आया कि वादी के वादी के वादपत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित ग्राम चकवा तहसील सरवाड़ की वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसका बंटवारा विधिवत करवाने का वादी हक रखते है। तथा बटवारानुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने का हक रखते है:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादी गण की ओर से गवाह किशनसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति दरोगा निवासी चकवा, किशनलाल पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी चकवा के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। गवाह किशनसिंह पुत्र भोपालसिंह का कथन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जेकाश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम चकवा में सिथत है जिसमें वादीगण का 1/2 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी ख.नं. 143 रकबा 11–04–00 बीघा भूमि गत 30–35 वर्षों से वादी सं. 1 के ही कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा उक्त आराजी में एक चाह भी खुदवाया गया है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 227 रकबा 00–07–00 बीघा भूमि में चाह स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है व ,ासरा नं. 227 में वादीगण का 1/2 हिस्सा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया वादग्रस्त आराजी चा की भूमि खसरा नं. 227 जिसके पुराने खसरा नं. 443/2 रकबा 00–07–00 बीघा ग्राम चकवा की जमाबंदी सं. 2006 में खाता सं. 4/18 में हरलाल पुत्र गोरधन जाति जाट के नाम दर्ज है। तथा जमाबंदी सं. 2023 से 2026 में भी हरलाल पुत्र गोरधन जाति जाट के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी में से जमाबंदी सं. 2058 से 2061 में खसरा नं. 127 रकबा 09–05–00 बीघा खसरा नं. 163 रकबा 01–10–00 बीघा, खसरा नं. 223 रकबा 03–04–00 बीघा, खसरा नं. 226/1 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला–अजमेर

Scanned by CamScanner

04–08–00 बीघा, खसरा नं. 227 रकबा 00–07–00 बीघा व खसरा नं. 556 रकबा 01–09–00 बीघा भूमि हरलाल पुत्र गोरधन के पुत्र भूरा के वारिसान के नाम दर्ज रेकार्ड है, तथा खसरा नं. 226/2 रकबा 04–19–00 बीघा, खसरा नं. 261 रकबा 47–02–00 बीघा, खसरा नं. 562 रकबा 01–16–00 बीघा भूमि हरलाल पुत्र गोरधन के पुत्र रामचन्द्र के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है। परन्तु खसरा नं. 227 रकबा 00–07–00 बीघा भूमि पर चाह खुदा हुआ है तथा खसरा गिरदावरी सं. 2058–2061 में भी खसरा नं. 227 गैरमुमकिन पडत भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा नं. 21, 27, 143, 145, 164, 223, 226/1, 227, 556 प्रतिवादीगण की पैतृक आराजीयात है जो प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पिता की है पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत से खातेदारी कब्जेकाश्त में है वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदार व कब्जेकाश्त में नहीं है इसलिए वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। हरलाल पुत्र गोरधन के नाम दर्ज भूमि का उसके वारिसान दोनों पुत्रों के नाम जमाबंदी सं. 2058 से 2061 में उपरोक्त विवेचन अनुसार अलग अलग खाते में दर्ज रेकार्ड है परन्तु खसरा नं. 227 पर चाह है तथा गवाह द्वारा भी चाह का निर्माण वादीगण द्वारा करना बताया गया है व चाह पर वादीगण का 1/2 एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा बताया गया है। चाह की भूमि पैतृक है। प्रतिवादीगण की ओर से खसरा नं. 227 पर चाह के निर्माण एवं स्वामित्व के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष आंशिक खसरा नं0 227 रकबा 00–07–00 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्से तक निर्णित की जाती है।

2. **तनकी सं. 2 :–** आया वादपत्र के पैरा में वर्णित आराजीयात खसरा नं. 143 सम्पूर्ण वादीगण को बटवारे में संभलाई जावे तथा खसरा नं. 224 चाह का आधा आधा हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में इद्राज कराया जावे प्रतिवादीगणको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे:– इस संबंध में तनकी सं. 1 में किये गये विवेचन अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्व. हरलाल पुत्र गोरधन के वारिसान है। वाद वर्णित आरजीयात पुश्तैनी हैं तथा वादग्रस्त आराजी में से जमाबंदी सं. 2058 से 2061 में खसरा नं. 127 रकबा 09–05–00 बीघा खसरा नं. 163 रकबा 01–10–00 बीघा, खसरा नं. 223 रकबा 03–04–00 बीघा, खसरा नं. 226/1 रकबा 04–08–00 बीघा, खसरा नं. 227 रकबा 00–07–00 बीघा व खसरा नं. 556 रकबा 01–09–00 बीघा भूमि हरलाल पुत्र गोरधन के वारिसान पुत्र भूरा के वारिसान के नाम दर्ज रेकार्ड है, तथा खसरा नं. 226/2 रकबा 04–19–00 बीघा, खसरा नं. 261 रकबा 47–02–00 बीघा, खसरा नं. 562 रकबा 01–16–00 बीघा भूमि हरलाल पुत्र गोरधन के वारिस पुत्र रामचन्द्र के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं. 227 रकबा 00–07–00 बीघा भूमि पर चाह स्थित है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त चाह के स्वामित्व व चाह निर्माण के संबंध में कोई अन्य साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। चाह की भूमि पैतुक होने से स्व0 हरलाल के समस्त वारिसान का हक व अधिकार है। अन्य भूमि दोनों पुत्रों के नाम अलग अलग खाते में दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में आंशिक खसरा नं0 227 रकबा 00–07–00 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्से तक निर्णित की जाती है।

3. **तनकी सं. 3** आया कि खसरा नं. 146/10 तथा रकबा 3बीघा व खसरा नं. 222 रकबा 2 बीघा 8 बरीस्वा प्रतिवादी सं. 3 को अलाट हुई है। खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला–अजमेर

Scanned by CamScanner

190/2 रकबा 10 बीघा कय की है खसरा नं. 143 रकबा 11 बीघा 4 बीस्वा वादीगण की खातेदारी व कब्जे कास्त में ही नहीं है इस पर बनाया गया कुआ प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने स्वयं निजी पैसे से बनाया है अतः इसका बटवारा कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता खसरा नं. 227 में वादीगण और प्रतिवादीगण का आधा–आधा हिस्सा है आराजी खसरा नं. 21, 127, 143, 145, 164, 223, 226/1, 227, 556 प्रतिवादी सं. 3 व 4 की पैतृक संपत्ति है जिसका बटवारा व खातेदारी हक प्राप्ति का वादी को अधिकार नहीं है:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा नं. 21, 27, 143, 145, 164, 223, 226/1, 227, 556 प्रतिवादीगण की पैतृक आराजीयात है जो प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पिता की है पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत से खातेदारी कब्जेकाश्त में है वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदार व कब्जेकाश्त में नहीं है इसलिए वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं हैं प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नं. 227 रकबा 00–07–00 बीघा भूमि पर चाह के स्वामित्व के संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रतिवादीगण उक्त तनकी अपने पक्ष में पूर्णरूप से सिद्ध करने में असफल रहे है।:

उपरोक्त तनकी वार विवेचन से सिद्ध है कि वाद वर्णित आराजीयात हरलाल पुत्र गोरधन की खातेदारी की थी तथा हरलाल के दो पुत्र थे। हरलाल पुत्र गोरधन के नाम दर्ज भूमि में से जमाबंदी सं. 2058 से 2061 में खसरा नं. 127 रकबा 09–05–00 बीघा खसरा नं. 163 रकबा 01–10–00 बीघा, खसरा नं. 223 रकबा 03–04–00 बीघा, खसरा नं. 226/1 रकबा 04–08–00 बीघा, खसरा नं. 227 रकबा 00–07–00 बीघा व खसरा नं. 556 रकबा 01–09–00 बीघा भूमि हरलाल पुत्र गोरधन के वारिसान पुत्र भूरा के वारिसान के नाम दर्ज रेकार्ड है, तथा खसरा नं. 226/2 रकबा 04–19–00 बीघा, खसरा नं. 261 रकबा 47–02–00 बीघा, खसरा नं. 562 रकबा 01–16–00 बीघा भूमि हरलाल पुत्र गोरधन के वारिस पुत्र रामचन्द्र के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। खसरा नं. 227 रकबा 00–07–00 बीघा भूमि चाह की भूमि है तथा तनकी नं. 1 व 2 वादी गण के पक्ष में खसरा नं. 227 तक आंशिक निर्णित की जा चुकी है तनकी नं. 3 प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है अतः वादीगण का वाद खसरा नं. 227 चाह भूमि में से 1/2 हिस्से तक स्वीकार किया जाता है। अतः खसरा नं. 227 रकबा 00–07–00 बीघा में वादीगण को 1/2 हिस्से व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 को 1/2 हिस्से पर सह खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सरवाड़ को पालना हेतु लिखा जावे। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 22.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी,
सरवाड़ जिला–अजमेर
सरवाड़

Scanned by CamScanner